Annx I

श्री युत जगदम्बा स्टोन क्रशर गांव व डाकघर मसियाना, तहसील व जिला हमीरपुर (हि.प्र.) द्वारा मोहाल बाड़ी मौजा धनेड़ खसरा नं. 646 तहसील व जिला हमीरपुर (हि.प्र.) में तदादी 1-74-85 हैक्टेयर में पत्थर, रेत व बजरी के संग्रह के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण:

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को प्रातः 11:00 बजे गांव व डाकघर मसियाना, तहसील व जिला हमीरपुर (हि.प्र.) द्वारा मुहाल बाड़ी मौजा धनेड़, तहसील व जिला हमीरपुर (हि.प्र.) में तादादी 1-74-85 हैक्टेयर में पत्थर, रेत व बजरी के संग्रह के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हमीरपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न-1 पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, जिला हमीरपुर, उप निदेशक बागवान हमीरपुर, खनन अधिकारी हमीरपुर अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगंण व पंचायत उपप्रधान ग्राम पंचायत बाड़ी फरनोहल, व साथ लगते गावों के निवासी उपस्थित थे। सर्व प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ऊना ने अध्यक्ष महोदय व जनता का अभिनन्दन किया व जन सुनवाई की कार्यवाही प्रक्रिया शुरू की । अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस खनन क्षेत्र के सम्बंध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो निंसकोच पूछ सकते है। तत्पश्चात स्टोन क्रशर के प्रतिनिधि द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई । इन जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी भी की गई। इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र.	नाम व पता	मुद्दे/एतराज	उटाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	**श्री बलवंत कुमार शर्मा गांव ग्राहण तह. व जिला हमीरपुर**	उन्होने कहा कि यह जो खनन प्रक्रिया है इसकी पद्धति नई आई या यह पहले से ही उपयोग की जा रही है । अगर पहले से ही थी तो आजतक इसका प्रयोग क्यों नही किया गया । मेरा कहना है जैसे की पानी का छिड़काव करने तथा धूल मिटटी के बारे में है। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज तक सम्बन्धित विभाग ने इसका कोई निरिक्षण किया है या नहीं । क्या आपको जे.सी.बी. से किये हुए 08-10 फुट गहरे खडडे दिखाई दिये । अगर वहां खडडे थे तो आपको क्यों नहीं दिखाई दिये जो हम लोगों को खनन क्षेत्र में दिखाई दिये। तथा उसके उपर आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। इसका जो प्रभाव है जिससे धूल मिटटी उठती है जिस कारण हमारी घासनियाँ सारी बरवाद हो गई हैं। तथा 10-15 फुट खडडे हो जाने के कारण जैसे कि विज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे हमारे सारे पानी के स्त्रोत सूख गये हैं। यह सब खनन के प्रभाव के कारण हुआ है। कुछ लोग घरेलू रोजगार करते थे जैसे घराठ चलाते थे परन्तु आज पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है जिससे घराठ बरवाद हो गये हैं । व स्थानीय निवासियों का जीवन परिवर्तित हो गया है । पशुओं की चारगाहें भी परिवर्तित हो गई हैं इस खनन के कारण जो भी दोहन हो रहा है, इसके कारण पानी के जो जल भण्डारण स्त्रोत इत्यादि खत्म हो गये हैं। जिससे जो पानी यहां पर जमीन में जाता था वह आगे 10 किलोमीटर के बाद बाहर निकलता था व जिससे इस सारी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा है।	प्रतियोजना के प्रतिनिधी ने बताया कि जो खनन योजना इस क्षेत्र का बनाया गया है उसी के अनुसार इनको खनन करने की अनुमति है । यह जो इनका खनन का कार्य है जोकि खनन प्रक्रिया के अनुसार ही होता है जोकि अनुमोदित राज्य भू वैज्ञानिक व राज्य सरकार से होता है । व उस खनन योजना में यह प्रावधान है कि जो भी नदी के किनारे से पांच मीटर से ज्यादा दोनों तरफ से खनन होगा व 1 मीटर से ज्यादा गहरा खनन नहीं होगा और इनके क्षेत्र में जो खनन अधिकारी समय-समय पर इसका निरीक्षण करते रहे हैं। और जब हमने भी खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया तो यह पाया कि वहां पर खनन इससे ज्यादा गहरा नहीं है। हो सकता है किसी ओर क्षेत्र में कहीं और गैर कानूनी काम चल रहे हों वहां पर किसी ने कोई गहरा खड्डा कर दिया हो लेकिन खड्ड में इतना पत्थर है कि इस क्षेत्र में जो जरूरत है उसे पूरा कर सकता है । उससे कोई भी पानी के बहाव में नुकसान होने का अंदेशा नहीं है।

2.	**श्री ओंकार चन्द चोपड़ा गांव वाड़ी जिला हमीरपुर**	उन्होने कहा कि यह जो क्रैशर की सप्लाई है व जिस खनन पट्टा की बात हो रही है वहां से गैर कानूनी गहरा खनन हो रहा है जोकि खनन नियमानुसार से बहुत ज्यादा है । यहां कभी भी खनन अधिकारी नही आते हैं । आज की तारीख में माननीय आप चल कर खनन क्षेत्र देखेगें तो 10 फुट तक खनन पट्टे के क्षेत्र में जहां तक इन्होने निशानदेही की है । वहां तक खुदाई हो चुकी है । खडडे भरने के बाबजूद भी 8 से 10 फुट तक गहराई है। पिछले दिनों उप मण्डल दण्डाधिकारी हमीरपुर आये थे, हमनें इसके बारे में उनसे कहा । उन्होने कहा कि 21-01-2014 को आप इसके बारे में अपने आपत्ति व सुझाव बताने । तथा इस क्षेत्र के लोगों के लिए इसकी सुविधा कुछ भी नही है व न ही किसी को देते हुऐ देखी है और पर्यावरण सम्बन्धित जैसे कि पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। जिससे कुओं का जल-स्तर गिरा है । खेती पर असर पड़ा है, पेड़ पौधे नहीं लग पाते है, पशुओं को चराने की जगह नहीं बची है, इस जमीन का 10 फुट तक कटान हो चुका है। माननीय जी मैं निवेदन करता हूँ कि इसकी आज्ञा देने से पहले आप पहले इस क्षेत्र को ध्यान से देखें। व मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर जो भी खनन अधिकारी है उनको दूरभाष पर बताने पर भी वो खनन क्षेत्र में नही आये । मैंने उन्हें खुद आने के लिए कहा व कहा कि यदि आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है तो कृपा आप आयें व मैं भी वहां पर उपस्थित रहुंगा । परन्तु वो आज तक नहीं आये ।	श्रीयुत जगदम्बा स्टोन क्रैशर से कोई जवाब नही दिया गया ।
3.	**श्री रघुबीर सिंह गांव वाड़ी जिला हमीरपुर**	उन्होने कहा कि यह जो क्षेत्र है, जिसे बार-बार खनन पटटे पर दिया जा रहा है इस भू-भाग के साथ हमारी लगभग 200 कनाल भूमि बिल्कूल बंजर हो गयी है। जो कि राजस्व विभाग के रिकार्ड में सही माने में नहारी थी व वहां पर जो घराट चलते थे उसका पानी खेतों मे जाता था । उसको आज बदल कर भूमि को बंजर कर दिया है क्योंकि वहां के पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है । मैंने खुद यहां कुआं बनाया है, जिसका पानी का स्तर आज की तारीख में लगभग 2 फुट रह गया है जोकि लम्बे अरसे से चला आ रहा था व कभी सूखता नहीं था वो पीछले साल सूख गया । श्रीमान जी मेरा यह कहना है कि इस हालात को मौका पर देखा जाये व हमनें इस बारे में सम्बन्धित विभाग को केई बार सूचित किया पर इसके उपर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। तथा बार-2 इसी स्थान(भूमि को) जोकि 45 कनाल का रक्बा है, को पटटे पर 2003 से 2008 व 2008 से 2011 तक दिया गया है। जिसके बारे में स्थानीयें लोगों को पता ही नहीं था,कि किसने इस भाग को पटटे पर देने की अनुमति दी। अब भी उसी क्षेत्र को पटटे पर लेने के लिए आवेदन किया जा रहा है । जिससे हमारे पूरे गांव वासियों के हालात खराब हो गये है।	प्ररियोजना के प्रतिनिधी ने बताया कि यह जो नदी का खनन है । जिसमें नदी के बीच से पत्थर उठाने की प्रक्रिया है। जिससे यह भू-जल स्तर को भी नहीं छूता। बरसात के मौसम में खनन नहीं किया जाता है केवल सूखे मौसम में ही पत्थर उठाया जाता है। जोकि नौ मास के लिए होता है। तीन मास के लिए यह काम बन्द होता है। यह कार्य खनन योजना के अनुसार ही होगा । इसलिए इसका भू-जल स्तर पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। जोकि हमारे अध्ययन के अनुसार पाया गया है । यदि आपके गांव में और किन्हीं कारणों से जैसे कि ट्यूबवैल लग रहे हैं, इनके कारण भी पानी का स्तर कम हो सकता है । परन्तु नदी से पत्थर उठाने की प्रक्रिया से भू-जल स्तर में कोई भी असर नहीं होगा, यदि यह प्रक्रिया 1 मीटर तक खुदाई की है। जैसा कि आपने प्रश्न उठाया कि हवा की गुणवता को पहले क्यों नहीं नियन्त्रण करने की कोशिश की गई जिसमें हम बताना चाहते

			है, कि कुछ योजनाएं जो अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं, और कुछ नहीं आती । और जो पहले अधिनियम के तहत आते ही नहीं थे, तो उनमें किसी प्रकार की नियमतता नहीं होती परन्तु जो परियोजनाएं अधिनियम के तैहत आयेगी उन्हीं पर यह नियमतता लागू हुई है। तथा उसके पश्चात ही नियन्त्रण व अध्ययन का प्रावधान है।
4.	श्री हरि राम निवासी गांव मसियाणा, जिला हमीरपुर	इन्होने कहा कि यह जन सुनवाई अभी शुरू हुई है या पहले भी होती थी।	प्रियोजना के प्रतिनिधी ने बताया कि यह प्रक्रिया अभी नई है और यह जन सुनवाई भी खनन प्रक्रिया के लिए है। स्टोन क्रैशर के लिए नहीं हो रही है।
5.	श्री ठाकुर सिंह ठाकुर गांव वाडला, जिला हमीरपुर	उन्होने कहा कि आपके यहां पर वायु प्रदूषण की बात तो की है, जिसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। किन्तु पानी के प्रदूषण को लेकर कोई बात नहीं उठी। मेरा यह कहना है कि यहां पर जो कालोनी बसी है तथा आज स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिमाचल की बात चली है जिसमें हर जगह स्वच्छता होनी जरूरी है । मेरा यह कहना है कि पीने का पानी सभी गांव वासियों को यहीं से दिया जा रहा है तथा यहां पर कालोनी बनी हुई है। इसमें रह रहे सभी मजदूर खूले में शौच जाते हैं जिससे यहां का पानी गन्दा हो रहा है । तथा यही पानी पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिससे नाना प्रकार की बिमारियों के होने का अंदेशा है । इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है।	प्रियोजना के प्रतिनिधी ने बताया कि यह निजि ठेकेदारों की कालोनी है। इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । हमारे सात-ऑठ आदमी हैं, जिनके लिए हमनें शौचालय का प्रबन्ध किया हुआ है।
6.	श्री राजकुमार प्रधान, गांव ललीन, जिला हमीरपुर	उन्होने कहा कि आजकल यहां पर कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं है। तथा जो भी ट्रैक्टर आते-जाते हैं, वो क्रैशर के लिए ही आते हैं, जब सम्बन्धित विभाग को सूचित किया गया कि जे.सी.बी. से कार्य हो रहा है, तो विभाग वाले भी आये व उन्होने विडियाग्राफी भी की। तथा उस वक्त क्रैशर भी चल रहा था, व उनके पास पत्थर का कोई स्टॉक नही था। और मेरा कहना है, कि जो लोग इन कालौनियों में रह रहे है, वो ही कैशर के लिए माल ढोते हैं। इनके खनन क्षेत्र में 10-10 फुट गहरे खडडे हुए हैं जोकि हमारे सामने हुए है । खनन क्षेत्र में साथ जो जमीन लगती है, श्री जनक राज की व अन्य गांव वाड़ी वालों की भूमि भी नष्ट होने वाली है । जब विभाग को सूचित करने पर यह लोग जे.सी.बी को हटा देते हैं।	परियोजना के प्रतिनिधी ने बताया कि जो यह कह रहे है (राजकुमार) वह स्वंय एक ठेकेदार था, उसके नाम पर कुनाह खड्ड थी तथा इसी आदमी ने 10-10 फुट खडडे किये तथा मैं यह कहना चाहता हूँ। कि क्रैशर के खनन पटटे से कोई पत्थर नहीं उठाया जाता था, तथा इन्होने हमारा लोगों से सम्पर्क करवाया जिस पर हम 2500 रुपये मासिक का देते थे । जो कुनाह खडड से उठाया जाता था। आज तक भी पत्थर हमारे खनन पटटे से नहीं उठाया गया है । माननीय जी में आपको सूचित करना चाहता हूं कि यह राजकुमार जो बेड़ा गांव का सचिव है इसी के ट्रेक्टर यहां पर आते-जाते थे, तथा यह कालोनी हमारी नहीं इनकी है। इन्होने ही यह पक्का शैड बनाया हुआ है। जोकि सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा करके बनाया गया है । और आज तक उठाया नहीं गया है । माननीय जी में कहना

			चाहता हूं, कि इसी आदमी ने जे.सी.बी. लगवाई व सी एण्ड सी कम्पनी के लिए 500 गाड़ी जेसीबी से उटवाई गई । माननीय जी मेरा आपसे निवेदन है, कि इस मुद्दे की पूरी छांनवीन की जाये जिस दौरान इसने चापलूसी करके एक चैक एक राजकुमार ने नाम डाला गया व दूसरा किसी और राजकुमार के नाम डाला गया । जो गहरे खडडे हुए हैं वो इसी ने ही करवायें हैं । तथा क्रैशर के लिए हम बजरी नहीं निकालते है।
7.	श्री राज कुमार पुत्र श्री किशन चन्द वासी गांव बक्राल्टी, जिला हमीरपुर	उन्होने कहा कि सर यह जो खसरा नं 646, 45 कनाल 11 मरले का खनन पट्टा है जिसके लिए इन्होने आवेदन किया है हमारी भूमि भी उसी के साथ लगती है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र को खनन पटटे के लिए न दिया जाये। इसकी जगह कोई ओर मलकियती भूमि दे दी जाये पर सरकारी भूमि खनन के लिए न दी जाये तथा उपप्रधान राजकुमार ने कहा कि यहां पर खनन पट्टा है, वहां से 80 मीटर पर हमारे गांव के दो पेयजल स्त्रोत हैं, जोकि खडड से सिर्फ 10 फुट की उँचाई पर हैं दोनों गांव (बकारटी व वाड़ी) के लिए यही पेयजल स्त्रोत हैं। और हम खड्ड के किनारे से पीने के लिए पानी लेकर जाते हैं ।	श्रीयुत जगदम्बा स्टोन क्रैशर से कोई जवाव नही दिया गया ।
8.	श्री सुनील कुमार गांव ग्राहण, जिला हमीरपुर	उन्होने यह सूझाव दिया कि खनन के लिए खनन पटटा देना चाहिए । इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। यदि यह न दिया गया तो लोग बेरोजगार हो जायेगें ।	श्रीयुत जगदम्बा स्टोन क्रैशर से कोई जवाव नही दिया गया ।
9.	श्री संदीप कुमार उपप्रधान गांव वाड़ी फरनोल, जिला हमीरपुर	उन्होने कहा कि जो यह खनन प्रक्रिया है, अगर यह खनन योजना तथा नियमानुसार हो तो इससे कोई आपति नहीं होती । तथा इस क्रैशर पर हमारे गांव के 15-20 लोग कार्य करते हैं । जिससे उनके परिवारों का पालन पोषण होता है। माननीय जी मेरा कहना है कि यह क्रैशर लगभग 30 सालों से चला हुआ है, तथा उस समय कोई अवैध खनन नही हुआ । परन्तु इन दो तीन सालों में अवैध खनन हुआ है। इसकी वजह यह रही है कि जिला हमीरपुर में सारी खड्डे खनन के लिए बन्द थी केवल कुनाह खडड खुली थी । इसलिए पूरे हमीरपुर क्षेत्र की गाड़ियों इसी खड्ड में अवैध खनन के लिए आई जिससे खनन से ज्यादा प्रभाव पड़ा है। मेरा कहना है कि क्रैशर 30 सालों से चला है तथा इससे इतना फर्क नहीं पड़ता इसलिए खनन पटटा देने मे कोई आपति नहीं समझता हूँ। बल्कि हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है अगर यह क्रैशर बन्द हो जाता है तो 15-20 परिवारों के लिए रोजगार की कमी आएगी । माननीय जी मै यह कहना चाहता हूँ कि खनन नियमानुसार ही होना चाहिए अवैध खनन पर रोक लगानी चाहिए । जिससे खड्ड का स्तर	श्रीयुत जगदम्बा स्टोन क्रैशर से कोई जवाव नही दिया गया ।

		नीचे न जाये ।	
10.	श्री रविन्द्र कुमार वासी गांव बकाल्टी, जिला हमीरपुर	उन्होने कहा कि खनन क्षेत्र के पास पीने के पानी की परियोजना लगने वाली है, तथा खनन से इस परियोजना पर असर पड़ सकता है। तथा जल स्त्रोतों का ध्यान रखा जाये ताकि यह खराब न हो।	
11.	श्री आशीश कुमार गांव ग्राहण, जिला हमीरपुर	उन्होने कहा कि खनन पट्टे के समीप कोई जल स्त्रोत नही है व न ही कोई पीने के पानी की परियोजना है कही और हो सकती है।	
12.	श्री मिलाप चन्द गांव वाडी, जिला हमीरपुर	उन्होने कहा कि कुनाह खडड कम से कम 15 फीट नीचे जा चुकी है। तथा जो रोजगार की बात है वो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए परन्तु गांव वासियों का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए । माननीय जी मेरा कहना है कि जो रास्ता बकारटी से वाड़ी गांव को जाता है वहां पर कई गड्ढे हैं तथा सीढ़ियां बन चुकी है व पशु भी उस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। माननीय जी अंत में यह कहना चाहता हूँ कि अगर दो फीट तक खनन करने की अनुमति मिल भी जाये तो यह नहीं कह सकते कि वो दो फीट तक ही खनन करेगें।	
13.	श्री गरीब दास गांव वाड़ी, जिला हमीरपुर	उन्होने कहा कि पानी 10 से 12 फीट तक नीचे चला गया है तथा हमारे घराट 5-6 सालों से बन्द पड़े हैं व हमें कोई रोजगार भी नहीं मिला है तथा हमारा घराट खनन क्षेत्र के साथ ही है ।	
14.	श्री रमेश चन्द वासी गांव बकारटी, जिला हमीरपुर	उन्होने कहा कि यहां पर सिंचाई की 90 लाख की परियोजना बकारटी के नाम से लगाने का प्रावधान है। तथा वह परियोजना इस खनन प्रक्रिया के कारण कामयाब नहीं होगी।	प्रतियोजना के प्रतिनिधी ने कहा कि जहां पर खनन होना है वहां से दूसरों लोगों की जमीन व फसलें 40 मीटर दूर हैं जिनसे हमारा खनन क्षेत्र छूता नहीं है। तथा माननीय जी में आपको बताना चाहता है कि खनन क्षेत्र में साथ ही उस क्षेत्र के गांव वासी का कुआं है जिसमें 12 फीट की गहराई में पानी है। तथा पीछले 6 सालों से पानी में कोई कमी नहीं आई है। तथा उप-मण्डल अधिकारी हमीरपुर ने भी इस खनन क्षेत्र का मौका किया था और खनन क्षेत्र के साथ लगे हुए कुऐं के मालिक ने यह माना था कि पानी में कोई कमी नहीं आई है। तथा जब कनिष्ठ अभियन्ता प्रदूषण नियन्त्रण विभाग भी आये थे तो भी उसी कुऐं के मालिक ने यह माना था कि पानी में कोई कमी नहीं आई है। माननीय जी मेरा कहना है कि हम बरसात के दिनों में खनन नहीं करते

			नियमानुसार ही करेंगें। हमारी खनन प्रकिया हाथों द्वारा ही की जायेगी तथा हम जे.सी.बी. का प्रयोग नहीं करेंगे। तथा पीछले दिनों जो जे.सी.बी. का इस्तेमाल हुआ वो निजि ठेकेदारों द्वारा किया गया है। तथा इनके द्वारा ही 500 गाड़ियां **सी एण्ड सी** कम्पनी को दी गई थी । जिस कारण यह सब गाड़ियां जे.सी.बी द्वारा भरी गई और इस क्षेत्र में गहरे खडडे बने । परन्तु वो खड्डे अब भर गये हैं। क्योंकि हर साल बरसात होने के बाद यह खडडे भर जाते हैं, आप मौके पर जाकर देख सकते हैं।
15.	**श्री अमित शर्मा गांव ग्राहण, जिला हमीरपुर**	उन्होने सुझाव दिया कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए । खनन नियमानुसार ही होना चाहिए। अवैध खनन के कारण ही जल-स्तर में कमी आती है। खनन अगर खनन मापदण्डों के अनुरूप होती है, तो खनन पटटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिलता है। तथा यहां के लोगों को किसी और स्थान से बजरी नहीं मंगवानी पड़ेगी उनको यही से ही बजरी उपलब्ध हो जायेगी । जिससे उनका खर्च कम होगा। तथा स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा । मेरा यह अनुरोध है, कि जिनकी जमीन खनन पट्टा क्षेत्र में साथ लगती है, वह अवैध खनन न होने दें, तथा अगर होता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित विभाग को दे। तथा जो रात को भी अवैध खनन हो रहा है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। तथा सम्बन्धित विभागों को समय-2 पर इसका निरिक्षण करना चाहिए। तथा पीने का पानी इस खड्ड से लगभग 2 किलोमीटर उपर से उठाया जाता है । तथा मेरा यह सूझाव है कि वैध रूप से खनन करने से पानी के स्तर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तथा परियोजना के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता में सस्ती दरों पर बजरी उपलब्ध करवाई जाये तथा स्थानीय लोगों की प्राथमिकता का ध्यान रखा जाये ।	परियोजना के प्रतिनिधि ने बताया कि खनन नियमानुसार होगा तथा मजदूरों द्वारा ही होगा, जे.सी.बी. का प्रयोग नहीं होगा हमने आज तक भी अपना कार्य अपने खनन क्षेत्र में खनन नियमानुसार ही किया है जे.सी.बी. का प्रयोग न किया है न करेंगे तथा पंचायत, स्कूलों, मन्दिरों को मुफत में बजरी उपलब्ध करवाएगें । तथा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता पर बजरी व रेत दिया जाएगा। तथा हम पंचायतों को समय-2 पर जे.सी.बी. कार्य करने के लिए मुफत में उपलब्ध करवायेगें।

अन्त में वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ऊना ने सभी प्रतिभागियों और स्थानीय प्रशासन का पर्यावरण सम्बन्धी जन सुनवाई में भाग लेने पर धन्यवाद किया ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला हमीरपुर(हि.प्र.)